

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सम्बन्ध प्रदान करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय में जायने की प्रक्रिया जारी है। किन्तु अन्य प्रमाणपत्रों के नाम हैं। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण हो कर कक्षाएं हों तो एक सम्बन्ध प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।



संख्या : 0751/2442603
दिनांक : 0751/2442603
दिनांक : 0751/2441768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर
क्रमांक: एक/सम्बन्ध/2012/5422

दिनांक: 26/11/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध एन.आर.आई. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर (0751-2457834) को सन् 2012-13 के लिये प्रस्तावित/अंशित एम.बी.ए., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बन्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्वाथी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयन 27(10) के अन्तर्गत विन्नाभुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाचिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) प्रो. सुमित्रा अवस्थी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) प्रो. पियूषकान्त शर्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयन 27/28 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, सर्वेक्षण परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेन्स तथा गिन्नेस सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नय प्रमाण पत्र के तहत प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अर्पित करें।

स्वाथी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पर क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कानून में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बन्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं उक्त समय सम्बन्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्बदण्ड जमा करके जमीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचयन 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाखा में जर्नल अपील / कार्यालय सहायक पत्रागली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / सी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिक्रिया :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर अवगत है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, मत्तपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के अतिरिक्त / कुलसचिव को निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)